

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठसीन अधिकारी:-

श्री अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

49/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर

2025/133

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. हड़मान पुत्र हरीराम
2. वीराराम पुत्र हरीराम
3. नेमाराम पुत्र धनाराम के वारिसान
- 3/1. मुकेश पुत्र नेमाराम
- 3/2. भटाराम पुत्र नेमाराम
- 3/3. केलकी पुत्री नेमाराम
- 3/4. पानीदेवी पत्नि नेमाराम
4. गोविन्द पुत्र धनाराम
5. खीमाराम पुत्र धनाराम
6. कंकूदेवी बेवा धनाराम
7. पपु पुत्र जसराज
8. सुखादेवी बेवा जसराज जाति भील निवासी रामसीन तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. झमकूदेवी बेवा केसाराम
2. जगदीश पुत्र केसाराम
3. अशोक पुत्र केसाराम जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा
4. रामेश्वर पुत्र बंशीलाल
5. सुरेश पुत्र बंशीलाल
6. प्रकाश पुत्र बंशीलाल
7. सुआदेवी बेवा बंशीलाल जाति मेधवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
9. जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सपत्ति आदेश 07 नियम 11 (डी) सी.पी.सी.

उपस्थिति :-

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3
3. श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5
4. श्री प्रेमसिंह सिसोदिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9
4. प्रतिवादी संख्या 4 व 6 से 8 अनुपस्थित।



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

## निर्णय

दिनांक 26.02.2026

1.प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सपठित आदेश 7 नियम 11(डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश की गई थी। वादीगण अधिवक्ता को पांच अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण प्रार्थना पत्र का जवाब बंद किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात पर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

2.प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 09 सपठित आदेश 7 नियम 11 (डी)व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस दिनांक 24.2.2026 को सुनी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया था,कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है,जो कि चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वादीगण ने अपने वादपत्र में यह अभिवचन किया है कि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी जीवा वल्द वाला विवादित भूमि के खातेदार थे। जिनके देहांत होने पर गोबरिया खातेदार बना और गोबरिया के बाद हरिराम,धनाराम व जसराज भूमि के खातेदार हुए,जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य रहे हैं। जिनके द्वारा किसी को भी हस्तारण नहीं की, यदि ऐसा हस्तारण किया गया है, तो वो वाईट एब इन्श्यो है। खसरा संख्या 477 रकबा 3.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम रकबा 1.17 बीघा भूमि गलत तौर से दर्ज की गई है,जिनके द्वारा रकबा 3.15 बीघा भूमि 90A लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत नगरपरिषद के नाम करवायी है,जो नगर परिषद के खाते में दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि नगर परिषद खाते में दर्ज होने के उपरांत भी नगर परिषद को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है,जबकि नगर परिषद बालोतरा के नाम भूमि धारा 90A के तहत वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही दर्ज हुई थी। इस प्रकार नगर परिषद को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है। इसके अलावा वादीगण ने कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 478 में गलत तौर से वादीगण के मालिकाना,खातेदारी की भूमि का 01.17 बीघा सम्मिलित की गई है। वादीगण ने यह भी अभिवचन किया है कि खसरा संख्या 477 में 1/2 हिस्सा गलत तौर से दर्ज किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त



सहायक कलक्टर  
(S.O.) बालोतरा,

कि कोई भी पक्षकार सही तथ्य छिपाकर गलत तथ्यों का समावेश कर साक्ष्य मिथ्या व्यपदेशन के जरिए अभिवचन प्रस्तुत करता है, ऐसा पक्षकार कोई भी अनुतोष न्यायालय से प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि पक्षकार को स्वच्छ हाथों से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं कर साक्ष्य तथ्यों को छिपाया गया है। वादीगण ने अभिवचन किया है कि उनके खातेदारी की भूमि के भाग को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के खातेदारी में सम्मिलित किया गया है, जबकि प्रकरण के वादीगण स्वयं ने लिखित दस्तावेज में यह संस्वीकृति दी है, कि जो भूमि खसरा संख्या 477 में वादीगण के नाम दर्ज हुई, ऐसी भूमि हरीराम, जसराज पि. गोबरिया, कंकूदेवी बेवा धनाराम, नेमाराम, गोविन्दराम, श्रीमाराम पि. धनाराम कौम भील निवासी रामसीन के द्वारा खसरा संख्या 477 में मात्र 1/2 हिस्सा ही होना स्वीकार कर, अपने खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 477 रकबा 3.15 बीघा में 1/2 हिस्सा होना लिखित रूप से संस्वीकृत कर जरिए सप्रतिफल पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.01.2012 को मूलाराम पुत्र निम्बाराम जाति भील निवासी बालोतरा को बेचान किया गया। लेकिन वादीगण ने यह अभिवचन नहीं किया कि खसरा संख्या 477 के संबंध में अनुतोष चाहा जा रहा है, उसमें जो 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज हुआ, ऐसी भूमि को सप्रतिफल जरिए पंजीकृत दस्तावेज वर्तमान वादपत्र संस्थित होने से 13 वर्ष पूर्व बेचान किया जा चुका है और ऐसे पंजीकृत दस्तावेज में यह भी उल्लेखित किया गया है कि हमने हमारा हक हिस्सा, अधिकार की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करवा दिया है और कब्जा भी सुपुर्द कर दिया है। अब हमारा व हमारी आल-औलाद आदि का कोई कब्जा व खातेदारी का नहीं रहा व न रहेगा। ऐसे बेचाननामा में यह भी लिखित रूप से स्वीकार किया गया कि भूमि खसरा संख्या 477 जिसका भाग वर्तमान वादीगण के द्वारा या उनके हकपूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 12.01.2012 को सप्रतिफल अन्तरित किया जा रहा है, उनके पड़ोस में अवस्थित खसरों में उनकी कोई भूमि नहीं है। क्योंकि ऐसे बेचाननामा के पद संख्या 06 में यह लिखित संस्वीकृति दी है, कि खसरा संख्या 477 बदिशा उतर में खसरा संख्या 478 का रकबा है, बदिशा दक्षिण में खसरा संख्या 476 का रकबा है, व बदिशा पूर्व में खसरा संख्या 473 व 479 का रकबा है, बदिशा पश्चिम में खसरा संख्या 500 का रकबा है। इसके अलावा उक्त भूमि खसरा संख्या 477 मुख्य सड़क पर भी अवस्थित नहीं होने का कथन पंजीकृत दस्तावेजात में किया गया है। विधि के अनुसार लिखित संस्वीकृति उतम साक्ष्य होती है, उसके विपरीत कथन करने से ऐसे पक्षकारान एवं उनके हित प्रतिविधि विबन्धित जहां वादपत्र, वादपत्र में वर्णित अभिवचनों एवं संलग्न दस्तावेजात से ही विधि द्वारा वर्जित हों, वहां वादपत्र आरम्भिक अवस्था में ही खारिज किया जाना चाहिए। अपनी बहस को



जहायक कलक्टर  
(S. 7.) बालोतरा

जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 478 का भाग सड़क पर लगता है, जबकि वादीगण व उसके हकपूर्वाधिकारी के खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 477 का कोई भाग सड़क के लगता नहीं रहा ओर न है। अब ऐसी लिखित संस्वीकृति पंजीकृत दस्तावेज में 12 वर्ष करने के पश्चात् वर्तमान वाद पेश किया है, जो किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण वादीगण लालच में आकर वादग्रस्त भूमि को हड़प करने की नियत से विधि विरुद्ध वाद-पत्र पेश किया है। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जावे।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण की ओर से वादपत्र में मुख्य उजर उठाया की ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा की पुराने खसरा संख्या 526 रकबा 8.04 बीघा भूमि जीवा वल्द वाला कौम भील की खातेदारी में अवस्थित थी। जीवा के फौत होने पर उसके पुत्र गोबरिया की खातेदारी में दर्ज हुई। गोबरिया ने कभी वादग्रस्त भूमि को रावता पुत्र चेनाराम कौम मेघवाल को बेचान नहीं की गई। वादीगण जाति से भील होने से अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा रावताराम जाति से मेघवाल होने से अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस कारण धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सदस्य अनुसूचित जाति के सदस्य को भूमि हस्तांतरण नहीं कर सकता है, अगर ऐसा हस्तांतरण होता है, तो हस्तांतरण शुरू से ही वॉर्ड एब इन्श्यों होता है। वादीगण व उसके हकपूर्वाधिकारियों ने कभी भूमि का हस्तांतरण रावता पुत्र चेनाराम को नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि अवस्थित गांव रामसीन खालसा होने से दूसरी बार सेटलमेंट सवंत 2024 में हुआ, पुरानी जरीब 132 फीट से बढ़ाकर 165 फीट कर भूमि की पैमाईश की गई। द्वितीय सेटलमेंट में पुराने खसरा संख्या 526 रकबा 8.04 बीघा के नया खसरा संख्या 477 रकबा 3.15 बीघा से सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत व अवैध दर्ज किया गया, क्योंकि नया जरीब के हिसाब से रकबा 5.12 बीघा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादीगण के हक हिस्सा भूमि रकबा 01.17 बीघा कम दर्ज करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के हकपूर्वाधिकारी के खेत खसरा संख्या 478 में दर्ज कर दी गई, जो कि अवैध प्रविष्टि इन्द्राज होने के कारण वादीगण खसरा संख्या 478 रकबा 4.03 बीघा में से रकबा 01.17 बीघा भूमि वादीगण अपनी खातेदारी में घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है।




सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोत्रा

हमारे द्वारा पत्रावली के संलग्न रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं बेचाननामों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 477 रकबा 0.9485 हैक्टेयर भूमि नगर परिषद बालोतरा हिस्सा पूर्वा संस्था के लिए दर्ज है,जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अवलोकन से प्रतीत होता है। वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण खसरा संख्या 477 के खातेदार थे,तथा उन द्वारा अपना खातेदारी हक हकूक रकबा 3.15 बीघा में से अपने आपको 1/2 हिस्सा का मालिक मानकर भूमि का बेचान दिनांक 12.01.2012 को किए जाने के बाद क्रेता द्वारा भूमि 90 ए गैर कृषिक कार्य हेतु संपरिवर्तित करवाए गए,वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार खाता नगर परिषद बालोतरा के नाम दर्ज है। इस कारण नगर परिषद बालोतरा आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण वादीगण का वादपत्र पक्षकार के कुसंयोजन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बेचानपत्र दिनांक 12.01.2012 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 477 रकबा 03.15 बीघा भूमि के 1/2 हिस्सा खातेदार हरिराम,जसराज पिसरान गोबरिया,कंकूदेवी बेवा धनाराम, नेमाराम, गोविन्दराम, खिमाराम पिसरान धनाराम कौम भील साकिन रामसिन तहसील पचपदरा द्वारा आगे बहक क्रेता मूलाराम पुत्र निम्बाराम कौम भील निवासी बालोतरा को बेचान किया गया। बेचानपत्र के पैराज संख्या 04 में लिखित संस्वीकृति है कि ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 477 रकबा 03.15 बीघा भूमि किस्म सेवज में हमारा हक हिस्सा 1/2 खातेदारी भूमि का है,उक्त खातेदारी भूमि आज हमने सम्पूर्ण हक हिस्सा बेचान बएवज रुपये 90000/-में बेचान किया है। उक्त बेचानपत्र के पैराज संख्या 05 में भी लिखित संस्वीकृति है कि उक्त खातेदारी भूमि हक सम्पूर्ण बेचान पर आज हमने आपको कब्जा करवा दिया है,जिस पर आज आपने अपना कब्जा बतौर मालिक की हैसियत से कर लिया है,उक्त खातेदारी भूमि हक सम्पूर्ण बेचान पर अब आज से हमारा व हमारी आल-औलाद आदि का कोई कब्जा व हक खातेदारी का नहीं रहा है व न रहेगा। उक्त बेचानपत्र के पैराज संख्या 06 में लिखित संस्वीकृति है कि उक्त खातेदारी भूमि सम्पूर्ण हक बेचान खसरा संख्या 477 के पड़ोस निम्न प्रकार से है:-उत्तर में-खसरा संख्या 478 का रकबा, दक्षिण में-खसरा संख्या 476 का रकबा, पूर्व में-खसरा संख्या 473 व 474 का रकबा,व पश्चिम में-खसरा संख्या 500 का रकबा,उक्त खातेदारी भूमि हक सम्पूर्ण बेचान ग्राम रामसिन से उत्तर दिशा की तरफ लगभग एक-दो किलोमीटर दूर है,जो भूमि किस्म सेवज है,जो भूमि किसी मुख्य सड़क किनारे पर स्थित नहीं है। उक्त बेचानपत्र दिनांक 12.01.2012 के आधार पर नामान्तरण संख्या 929 पारित हुआ तथा तत्पश्चात् आयुक्त नगर परिषद बालोतरा के

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश क्रमांक 11658 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार खसरा संख्या 477 रकबा 03.15 बीघा 90A होने के कारण नागान्तकरण संख्या 1152 के द्वारा पूरा खाता नगरपरिषद बालोतरा के नाग दर्ज हुआ, जो पत्रावली के संलग्न रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के तत्समय सहखातेदार वादी संख्या 01 व 02 के पिता हरीराम, वादी संख्या 3/1 से 3/4 के पिता नेगाराम, व वादी संख्या 04 से 06 व वादी संख्या 07 व 08 के पिता जसराज ने बेचानपत्र दिनांक 12.01.2012 में लिखित संस्वीकृति है कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 477 रकबा 03.15 बीघा भूमि का है तथा हमारा 1/2 हिस्सा है। उक्त 1/2 हिस्सा भूमि को बेचान कर क्रेता को कब्जा सुपुर्द कर लिया गया है। अब उक्त खातेदारी भूमि एक सम्पूर्ण बेचान पर अब आज से हमारा व हमारी आल-औलाद आदि का कोई कब्जा व एक खातेदारी कार नहीं रहा है व न रहेगा तथा उक्त खातेदारी भूमि बेचान खसरा संख्या 477 के पड़ोस-उतर में खसरा संख्या 478 का रकबा दर्शित किया है। इस प्रकार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण वादग्रस्त भूमि बेचान के 13 वर्ष बाद उसी भूमि का वादपत्र खातेदारी घोषणा का लाया कि द्वितीय सेटलमेंट के समय खसरा संख्या 477 का रकबा 1.17 बीघा कम दर्ज करते हुए पड़ोसी खसरा संख्या 478 में मर्ज करने के कारण उक्त रकबा भूमि 01.17 बीघा वादीगण की खातेदारी घोषित की जावे। उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वादीगण के हकपूर्वाधिकारी व वादीगण स्वयं ने बेचाननामा दिनांक 12.01.2012 में लिखित संस्वीकृति है कि वादग्रस्त भूमि का रकबा 03.15 बीघा भूमि है, जिसमें हमारा 1/2 हिस्सा है तथा उक्त बेचाननामा में पुरख भी दर्शित किए गए हैं, जो कि उतर में खसरा संख्या 478 व रकबा भी लिखत किया गया है। तत्समय वादीगण व वादीगण के हकपूर्वाधिकारी द्वारा खसरा संख्या 478 के रकबा बाबत कोई आपत्ति नहीं की गई तथा वादग्रस्त भूमि में अपना सही हक हकूक मानते हुए भूमि का बेचान किया गया था। इस प्रकार वादीगण बेचाननामा दिनांक 12.01.2012 की लिखित संस्वीकृति से विबन्धित है। उक्त बेचाननामा की लिखित संस्वीकृति से मुखर नहीं सकते हैं। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का बेचान करने के बाद भूमि 90 ए होने के बाद नगर परिषद बालोतरा के खाते में दर्ज हो गए, इस प्रकार वादग्रस्त भूमि गैर कृषिक भूमि होने के कारण भी प्रकरण राजस्व न्यायालय में चल नहीं सकता है।

न्यायालय हाजा आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान का उल्लेख किया जाना उचित समझता है, जो निम्नानुसार है :-

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना:-वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा:-

- (क) जहाँ वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है;
- (ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;
- (ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;
- (घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है, कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;
- (ङ) जहाँ वह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है,
- (च) जहाँ वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है,

इस प्रकार आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधान में से यदि वाद-पत्र बाधित होता है, तो प्रकरण चल नहीं सकता है।

वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 477 का रकबा 1.17 बीघा द्वितीय सेटलमेंट के दौरान खसरा संख्या 478 में मर्ज होने का मुख्य आधार लेकर वादपत्र लाया गया है, जबकि वादीगण व वादीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा खसरान संख्या 477 का रकबा 3.15 बीघा मानते हुए वादग्रस्त भूमि का बेचान दिनांक 12.01.2012 को किया गया था तथा खसरान नम्बर 477 रकबा 3.15 बीघा भूमि वर्ष 2013 में 90 ए नगर परिषद बालोतरा के नाम दर्ज हो गए थी। वादीगण स्वयं अपनी बेचाननामा में लिखित संस्वीकृति से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं बेचाननामा में स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 477 का रकबा 3.15 बीघा है तथा उत्तर में खसरा संख्या 478 का रकबा है। इससे साबित होता है कि वादीगण को खसरा संख्या 478 का रकबा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सही होना माना है। अब 13 वर्ष के बाद उक्त खसरान संख्या 478 के संबन्ध में आपत्ति उठाना अपने आप में विरोधाभास है, इससे प्रतीत होता है कि वादीगण केवलमात्र प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से ही वाद पेश किया गया है, जो कि वादीगण का वाद विधि से वर्जित है। इसके अलावा वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि का रकबा कम कर खसरा संख्या 478 में मर्ज किए जाने का कृत्य द्वितीय सेटलमेंट संवत् 2024 में होना बताया है, जबकि उक्त सेटलमेंट को हुए लगभग 58 वर्ष से अधिक समय व्यतीत

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

चुका है, यदि आपति होती तो तत्समय वादीगण के हकपूर्वाधिकारी तत्समय उजर-एतराज पेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वादीगण स्वयं द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का रकबा 3.15 बीघा होना स्वीकार करते हुए अपना 1/2 हिस्सा भूमि का बेचान 12.01.2012 को किया गया था तथा उन द्वारा भी 13 वर्ष तक उजर-एतराज पेश नहीं की गई। इस संबंध में इतना समय व्यतीत होने के उपरांत वाद-पत्र पेश करना का क्या कारण रहे, इस संबंध में कोई संतोषप्रद व औचित्य पूर्ण कारण नहीं बता पाए हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि का सही रकबा ज्ञान होने के कारण ही उन द्वारा भूमि का बेचान किया गया तथा बेचाननामा में लिखित संस्वीकृति से बाहर वादीगण जा नहीं सकते हैं, इस कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 477 नगर परिषद बालोतरा के खाते में दर्ज है, जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा द्वारा जारी आदेश नामान्तकरण प्रति अवलोकन से स्पष्ट है। इसके अलावा वादीगण का वाद-पत्र प्रारम्भिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादपत्र में कोई सारवान तथ्य निहित नहीं है, क्योंकि वादीगण व उसके हकपूर्वाधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान किया गया तथा बेचाननामा में स्वीकार किया है कि खसरा संख्या 315 का रकबा 3.15 बीघा है तथा खसरा संख्या 478 का रकबा भी सही होना बेचाननामा में लिखित संस्वीकृति है। अब उक्त लिखित स्वीकृति से वादीगण मुर्कर नहीं सकते हैं, इस कारण न्यायालय हाजा का अभिमत है कि जहां वाद-पत्र प्रारम्भिक अवलोकन से साबित होता हो कि वाद चलने योग्य नहीं है, इसी प्रकरण में समग्र कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ऐसा किए जाने मात्र से न्यायालय हाजा का कीमती समय की बर्बादी होती है तथा हकदार काशतकार को कानूनी परेशानियों का अनावश्यक सामना करना पड़ता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैच जयपुर के न्यायिक दृष्टांत 2017(1) डी.एन.जे.(राज.1) पृष्ठ संख्या 111 अनवान आनन्दपालसिंह राजपूत बनाम सुमेरसिंह राजपूत व अन्य वगैरा निर्णय दिनांक 22.12.2016 इस प्रकरण की प्रवृत्ति पर चस्पा होता है, जिसमें प्रतिपादित है कि तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमों और कानूनी कार्यवाही को यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए और भले ही वे आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत न आते हों, फिर भी उन्हें धारा 151 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर देना चाहिए। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि बेचान करने के 13 वर्ष बाद वादपत्र लाया गया है, जिसमें स्वयं वादीगण व उसके हकपूर्वाधिकारी की बेचाननामा में लिखित संस्वीकृति है कि वादग्रस्त भूमि का रकबा 3.15 बीघा है तथा खसरा संख्या 478 का रकबा बाबत कोई आपति नहीं है। अब उक्त तथ्यों को झूठलाते हुए



सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

वाद लाया गया है, जो पूरे मुकदमे का आधार है, जो प्रारंभिक चरण में ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही में, और वह भी काफी समय पहले, उनके द्वारा की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार न्यायालय हाजा का अभिमत है, कि वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। इसी प्रकार उक्त खसरान् नगर परिषद के खाते में दर्ज होने के कारण कृषि भूमि नहीं रही है। राजस्व न्यायालय कृषि भूमि पर ही सुनवाई करने के लिए सक्षम हैं। इस संबंध में आर.आर.डी.1972 पृष्ठ 245 में प्रतिपादित है कि यदि कोई वाद आबादी में स्थिति भूमि से संबधित है तो उसकी सुनवाई के अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण संस्थित होने से 13 वर्ष पूर्व ही वादग्रस्त भूमि खसरान संख्या 477 की किस्म कृषि रही ही नहीं थी। न्यायिक दृष्टांत 2013(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 808 में प्रतिपादित है कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हुई तथा धारा 5(24) के अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है—मामलों के विचारण की राजस्व न्यायालय को अधिकारिता नहीं है। इसी प्रकार 2019(2)आर.आर.टी.पृष्ठ 863 में प्रतिपादित है कि आवासीय उपयोग की भूमियों बाबत प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को निहित नहीं है। साथ ही प्रावधित प्रावधानों के अनुसार विवादित आराजी जब आवासीय उपयोग में आ रही है तथा विवादित आराजी काशत किये जाने की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी भूमियों बाबत प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को निहित होगा। उक्त विवेचन पर निर्णय हेतु हम यहां राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24), जिसमें भूमि की परिभाषा प्रदत्त है, का यहां उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार "भूमि से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों या उसके अधीनस्थ प्रयोजनों के लिए या बाग भूमि के रूप में या चारागाह के लिए पट्टे पर दी जाती है या धारित की जाती है और इसमें किसी जोत पर अवस्थित मकानों या बाड़ों के नीचे की भूमि या जल से ढकी हुई वह भूमि सम्मिलित है, जो सिंचाई करने या सिंधाड़ा या ऐसी ही अन्य पैदावार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जा सकें, किंतु आबादी भूमि इसमें सम्मिलित नहीं है, पर इसमें भूमि से होने वाले फायदे तथा भू-बद्ध वस्तुएं या किसी भी भू-बद्ध से स्थायी रूप से आबद्ध वस्तुएं सम्मिलित है "


आर.आर.डी. 1988 पृष्ठ 571 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि—Rajasthan Tenancy act. Section 5(24) Agricultural land which had been acquired for and handed over by govt. to urban improvement trust had ceased to be land for purposes of section 5(24) and had become abadi land. notwithstanding fact that consequential entries in record of right had not been effected by revenue staff.

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोत्रय

माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृत्ति पर पूरी तरह चर्चा होती है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि भूमि न होकर गैर कृषिक प्रयोजन आबादी भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर न्यायालय हाजा को सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है, इस कारण हस्तगत प्रकरण विधि से वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है।

5. लिहाजा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सपटित आदेश 07 नियम 11 (डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



  
(अशोक कुमार) 26/02/2025  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर 26/02/2026  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

डिक्री-पर्चा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठसीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 49/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/133

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हड़मान पुत्र हरीराम
2. वीराराम पुत्र हरीराम
3. नेमाराम पुत्र धनाराम के वारिसान
- 3/1. मुकेश पुत्र नेमाराम
- 3/2. भटाराम पुत्र नेमाराम
- 3/3. केलकी पुत्री नेमाराम
- 3/4. पानीदेवी पत्नि नेमाराम
4. गोविन्द पुत्र धनाराम
5. खीमाराम पुत्र धनाराम
6. कंकूदेवी बेवा धनाराम
7. पपु पुत्र जसराज
8. सुखादेवी बेवा जसराज जाति भील निवासी रामसीन

1. झमकूदेवी बेवा केसाराम
2. जगदीश पुत्र केसाराम
3. अशोक पुत्र केसाराम जाति घांची निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
4. रामेश्वर पुत्र बंशीलाल
5. सुरेश पुत्र बंशीलाल
6. प्रकाश पुत्र बंशीलाल
7. सुआदेवी बेवा बंशीलाल जाति मेधवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
9. जयप्रकाश गोयल पुत्र रामकिशोर जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा



राजस्व वाद बाबत:-88,91,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 49/2025

निर्णय दिनांक :-26.02.2026

वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 6 से 8 अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से श्री प्रेमसिंह सिसोदिया अधिवक्ता की उपस्थिति, इस वाद में आज तारीख 26.02.2026

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

श्री अशोक कुमार (नाम पीठारीन अधिकारी) उपग्रह अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 09 सपठित आदेश 07 नियम 11(डी) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। यह आज तारीख 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



*Handwritten signature*  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

## वाद के खर्चे

| वादीगण                           |       | प्रतिवादीगण                      |       |
|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प       | रुपया | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     | रुपया |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | 3. प्लीडर की फीस                 |       |
| 4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस    |       | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | ----- |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | 5. आदेशिका की तामील              |       |
| 6. कमिश्नर की फीस                | -     | 6. कमिश्नर की फीस                |       |
| 7. आदेशिका की तामिल              |       |                                  |       |
| जोड़                             | -     | जोड़                             | ----- |

*Handwritten signature*  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा